न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2017/4157 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-10-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 129/अपील/2016-17

शोभाराम पिता गणपत
निवासी गाम आहु तहसील व जिला धार

................आवेदक

विरूद्ध

1-श्रीमती धापुबाई पति जगन्नाथ
2-देवीलाल पिता जगन्नाथ
3-ठाकुरलाल पिता जगन्नाथ
4-प्रेमचन्द पिता गणपत
5-रामेश्वर पिता गणपत
6-सावित्रीबाई पिता दुर्गाशंकर
7-रोहित पिता दुर्गाशंकर
सभी निवासी ग्राम आहु तहसील व जिला धार
8-पार्वतीबाई पिता दुर्गाशंकर
निवासी भक्ताम्बर कॉलोनी धार जिला धार
9-सुमित्राबाई पिता दुर्गाशंकर
निवासी ग्राम कुसावदा तहसील बदनावर
जिला धार

.................अनावेदकगण

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, आवेदक

श्री अखिलेश शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 3

श्री जे0एस0मण्डलोई, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 4 से 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आहू तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2/1 रकबा 1.215 हेक्टेयर व सर्वे क्रमांक 290/5 रकबा 2.402 हेक्टेयर कुल रकबा 3.617 हेक्टेयर गणपत पिता कुवंरजी के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित थी । भूमिस्वामी गणपत की मृत्यु होने पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 36 में आदेश दिनांक 16-11-1999 से फौती नामान्तरण स्वीकृत किया गया एवं साथ ही बंटवारा आदेश पारित किया गया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 20-11-2005 को लगभग 16 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-10-2016 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत आहू द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-11-1999 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 6-10-2017 से द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 36 में दिनांक 16-11-1999 स्वयं अनावेदक क्रमांक 1 धापूबाई के द्वारा अपने अँगूठा निशानी से सहमति प्रदान की गई है । अनावेदक क्रमांक 1 धापूबाई के द्वारा व अन्य वारिसों के द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर तथा कोई आपत्ति समय सीमा में प्राप्त न होने पर पंजी पर आदेश पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय के द्वारा पारित आदेश सहमति के आधार पर होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अनावेदिका धापूबाई को नहीं था ।

(2) सर्वे क्रमांक 290/5 पर गणपत व उनके भाईयों के मध्य न्यायालयीन विवाद होने के कारण उक्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण नहीं हो पाया, इस तथ्य की जानकारी समस्त अनावेदकगण को पूर्व से रही है । इस कारण अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत अपील निर्विवाद रूप से असत्य आधारों पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के मन में लालच व बद्यांति आ जाने के कारण प्रस्तुत की गई, ऐसी स्थिति में सहमति आदेश के विरूद्ध अपील को ग्राहय ही नहीं किया जा सकता है और न ही उसे अपील प्रस्तुति में हुये विलम्ब की माफी दी जा सकती है । इसके बाबजूद अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील स्वीकार करने बावत् आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को म0प्र0राजपत्र दिनांक 28-10-1994 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ.7-7-94-सात-समन्वय दिनांक 21-10-1994 के आधार पर म0प्र0पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन गठित ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर के ग्रामों में नामान्तरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की एवं खातों के विभाजन के अविवादित मामलों के संबंध में संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार को शक्तियॉ प्रदान की गई है । उक्त शक्तियों के अंतर्गत ग्राम पंचायत आहू के द्वारा गणपतजी की मृत्यु उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण व विभाजन अविवादित होने के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसे किये जाने का ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार प्राप्त था, ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश एवं निष्कर्ष निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि स्व0गणपत पिता कुवंर जी ने अपने जीवनकाल में अपनी भूमियों का आपसी विभाजन समस्त वारिसों की सहमति से कर दिया गया था तथा अपनी अपनी भूमियों का मौके पर कब्जा भी सौंप दिया गया था तभी से समस्त वारिसान अपने अपने हिस्से की भूमियों पर कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त सहमति से बंटवारे में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को ग्राम आहू को कुल रकबा

6.015 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई तथा उस पर वह काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, जिस पर उनका नामान्तरण पूर्व में ही हो चुका है । आवेदक को कुल रकबा 6.057 हेक्टेयर भूमि हिस्से में प्राप्त हुई है । उक्त भूमि में क्रमांक 290/5 को छोडकर शेष भूमि पर पिता गणपत जी के जीवनकाल में ही नामान्तरण हो गया होकर स्वतंत्र रूप से आवेदक कृषि कार्य कर रहा है । उक्त सर्वे नम्बर 290/5 पर गणपत व उनके भाईयों के मध्य न्यायालयीन विवाद होने के कारण उक्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण नहीं हो पाया था, इसी प्रकार अपने हिस्से हिस्से में आई भूमि को छोडकर नामान्तरण भी कर कृषि कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में सभी पक्षों की सहमति से पारित आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त के द्वारा गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को नजर अंदाज किया गया है कि अपील प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक के द्वारा ग्राम पंचायत आहू, जनपद पंचायत तिरला के द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 36 में दिनांक 16-11-1999 का मूल अभिलेख आहूत करने संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधी आवेदन पत्र संहिता की धारा 49 के अंतर्गत राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी विचाराधीन होने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । उक्त आवेदनों पत्रों का निराकरण किये बगैर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता था । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील में वास्तविक तथ्यों व कानूनी पहलूओं को अनदेखा कर जल्दबाजी में बिना अभिलेख आहूत किये अपील को स्वीकार करने में भूल की गई है,ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक भूल की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1978 आरएन 222, 2007 आरएन 359, 2016 आरएन 43 व 182, 2015 आरएन 107 एवं 2003 आरएन 345 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के विद्वान **अधिवक्ता** द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये **गये हैं** :-

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार के द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आदेश दिनांक 16-6-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी, जो निरस्त की गई है । उक्त तथ्य आवेदक ने अपनी निगरानी के तथ्य क्रमांक 5 में लिखा है, इसलिये संहिता की धारा 5 पर अब इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

(2) दोनों अपीलीय न्यायालयों ने अपने आदेश में यह माना है कि पंजी पर बंटवारा नहीं किया जा सकता है । संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामान्तरण किया जा सकता है तथा बंटवारा हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत प्रावधान दिये गये है जिसमें भूमिस्वामी को न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही विभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर सकता है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में खाते की पूर्व स्थिति कर मृतक गणपतजी के सभी वारिसों के नाम दर्ज हो चुके हैं । आवेदक सर्वे नं. 290/5 रकबा 2.402 हेक्टेयर की भूमि अपनी कहता है, उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा भी नहीं है, ऐसे कोई दस्तावेज आवेदक के पास नहीं है और ना ही आवेदक ने अधीनस्थ न्यायलय में पेश किये है, इसलिये आवेदक के मात्र यह कह देने से कि सर्वे नम्बर 290/5 की भूमि उसकी है, मानने योग्य नहीं है ।

(4) आवेदक ने पटवारी एवं पंचायत से मिलकर अनावेदकगण के पंजी पर फर्जी हस्ताक्षर कर आवेदक ने अपने हिस्से में अधिक भूमि प्राप्त करने का आदेश पारित करवाया था । अनावेदकगण ने आवेदक का नाम दर्ज करने में ग्राम पंचायत में कोई सहमति नहीं दी गई है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय द्वारा पंजी पर आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है ।

(5) आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 36 आदेश दिनांक 16-11-1999 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल नामान्तरण पंजी तलब की गई और अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय द्वारा पंजी अवलोकन कर आदेश पारित किया है, जो उचित है।

(6) पंजी में यह उल्लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया एवं आपत्तियाँ ऑमत्रित की गई जबकि पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी पर विज्ञप्ति संलग्न नहीं है एवं पंजी पर विज्ञप्ति क्रमांक एवं दिनांक का भी उल्लेख् नहीं है, इसलिये नामान्तरण पंजी पर किया गया आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(7) आवेदक एवं अनावेदकगण का उक्त भूमि में 1/5 हक एवं हिस्सा है । आवेदक अनावेदकगण का हिस्सा हडपने के उद्देश्य से पंजी पर अनावेदकगण की बगैर जानकारी के अनावेदकगण के फर्जी हस्ताक्षर व ॲगूठा निशानी कर आदेश पारित किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पंजी पर पारित आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1995 आरएन 27 एवं 1994 आरएन 302 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक क्रमांक 4 लगायत 9 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन देते हुये मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) स्व0गणपत पिता कुवंर जी ने अपने जीवनकाल में वर्ष 1990-91 में अपनी भूमियों का विभाजन सब की सहमति से कर दिया था तथा अपनी अपनी भूमियों का नामांतरण करवाकर मौके पर कब्जा भी दे दिया था तथा नामान्तरण भी करवा दिया था तभी से सभी लोग अलग अलग रहकर अपनी अपनी भूमि पर अपने अपने साधनों से कृषि कार्यकर रहे हैं उक्त सहमति से बंटवारा में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को भूमि ग्राम आहू के कुल रकबे 6.015 हेक्टेयर मिली तथा वह उस पर काबिज होकर स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं ।

(2) नामान्तरण पंजी को बंटवारा भी माना जावे तो अविवादित बंटवारे तथा पूर्व में किये अविवादित बंटवारे करने के लिये राज्य शासन द्वारा तहसीलदार की आधिकारिता ग्राम सभा को प्रदान की गई होने से नामान्तरण तथा बंटवारा अविवादित होने से तथा सभी पक्षों की सहमति होने से प्रवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा विज्ञप्ति पर कोई आपत्ति नहीं होने से

तथा सभी पक्षों की सहमति पर हस्ताक्षर होने से अविवादित नामान्तरण मानते हुये अपने अधिकारों का अपनी अधिकारिता का उपयोग करते हुये नामान्तरण स्वीकृत किया गया है तथा प्रकरण में प्रस्तुत नामान्तरण पंजी में विज्ञप्ति प्रकाशन 1-1-1999 तथा आपत्ति नहीं होने से दर्ज है, सभी पक्षों के सहमति के हस्ताक्षर भी दर्ज है ।

(3) आवेदक एवं अनावेदकगण को सर्वप्रथम नामान्तरण पंजी पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर दिनांक 16-11-1999 को हो गये है । विज्ञप्ति प्रकाशन पर भी कोई आपत्ति नही की गई, नामान्तरण अनुसार अपनी अपनी भूमि पर वर्ष 1999 से कब्जे के अनुसार कृषि कार्य कर रहे हैं तथा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 वर्ष 1999 से 2015 तक चुप बैठा रहा है अगर कोई आपत्ति थी तो विज्ञप्ति के समय आपत्ति करना चाहिये थी तथा नामान्तरण में बटवारा पंजी पर सहमति के हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये थे तथा परिवेदित आदेश की अपील करना चाहिये थी, ऐसा नहीं किया गया इसका अर्थ यह है कि उक्त नामान्तरण बटवारे में सहमति थी, कोई आपत्ति नहीं थी, ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसे जानकारी नहीं थी, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं चल सकती है ।

(4) पिता की मृत्यु होने से उनकी मृत्यु के बाद सबकी सहमति से पूर्व के बंटवारे अनुसार आवेदक का नामान्तरण हुआ इसमें सभी पक्षों की सहमति थी तथा सहमति के हस्ताक्षर पंजी पर किये है ऐसे आदेश के विरूद्ध राजस्व न्यायालय में अपील चलने योग्य नहीं थी । सहमति के आदेश की अपील नहीं होती सिर्फ दीवानी न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अवैध व अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अविवादित नामान्तरण में राजस्व निरीक्षक तथा पंचायत को समान अधिकार दिये गये है इस अनुसार नामान्तरण के समय तथा विज्ञप्ति के समय कोई आपत्ति नहीं की गई । सहमति से हस्ताक्षर किये गये हैं ऐसे आदेश की अपील न्यायालय बिना जॉच किये हस्ताक्षर फर्जी नहीं माने जा सकते, इसकी जॉच हस्ताक्षर विशेषज्ञ कराये बिना फर्जी हस्ताक्षर नहीं माने जा सकते, वह भी 16 वर्ष पश्चात हस्ताक्षर फर्जी घोषित नहीं किये जा सकते हैं ।

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96(3) के अनुसार सहमति के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी , अपीलविधि द्वारा वर्जित होनेके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों

द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपील सुनकर निर्णय पारित किये है, जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1989 आरएन 14 एच.सी., 1991 आरएन 186 एच.सी., 1996 आरएन 292 एच.सी., 2016 आरएन 43, 1987 आरएन 401, 2003 आरएन 73 व 1988 आरएन 220 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर आदेश पारित किये गये हैं कि ग्राम पंचायत आहू, जनपद पंचायत तिरला द्वारा नामान्तरण एवं बंटवारा आदेश नामान्तरण पंजी पर पारित किये गये हैं, जबकि नामान्तरण पंजी पर एकसाथ दोनों आदेश पारित नहीं किये जा सकते हैं, क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, परन्तु उनके द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 36 पर पारित आदेश दिनांक 16-11-1999 आवेदक, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 व अनावेदक क्रमांक 6 लगायत 9 के पिता दुर्गा शंकर की सहमति से पारित हुआ है और सहमति स्वरूप उनके हस्ताक्षर भी नामान्तरण पंजी पर है । स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण एवं बंटवारा आदेश सहमति से पारित हुआ है और सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । इस संबंध में 2014 आरएन 220 गुड्डीबाई तथा अन्य विरूद्ध बलवीर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 44 तथा 178 - अपील का चलाने योग्य होना - सहमति से विभाजन का आदेश - ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी ।"

इसी प्रकार 2007 आरएन 369 लालाराम विरूद्ध नारायण तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 44 तथा 178 - विभाजन का आदेश - दोनों पक्षकारों की सहमति से पारित किये गये ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती ।"

इसी प्रकार 2016 आरएन 43 हरबोबाई विरूद्ध रणवीरसिंह तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 44 तथा 178 - अपील का चलाने योग्य होना - सहमति से विभाजन आदेश - ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील चलाने योग्य नहीं ।"

इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत 2016 आरएन 182 दीपचंद तथा अन्य विरूद्ध कटटोबाई तथा अन्य में प्रतिपादित किया गया है । उभयपक्ष के मध्य सहमति से बंटवारा एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 16-11-1999 से पारित किया गया है, तब से 16 वर्ष तक अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाने इस तथ्य को बल देता है कि उभयपक्ष अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं और अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा 16 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की जाना बाद की सोच है और ऐसी कार्यवाही सद्भाविक नहीं ठहराई जा सकती है । उभयपक्ष के मध्य सहमति से पारस्परिक विभाजन हुआ है । 1989 आरएन 14 दयाराम विरूद्ध हरचन्द में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पारस्परिक विभाजन सद्भाव पर आधारित होता है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है । चूँकि नामान्तरण पंजी पर अविवादित नामान्तरण एवं बंटवारा आदेश सहमति से पारित किया गया है, इसलिये उपरोक्त वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जो न्यायिक नहीं होने से निरस्त जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-10-2017 तथा अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दि. 24-10-2016 निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम पंचायत आहू, जनपद पंचायत, तिरला द्वारा ग्राम आहू तहसील व जिला धार की नामान्तरण पंजी क्रमांक 36 पर पारित आदेश दिनांक 16-11-1999 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर